

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक /रीडर/2023/61

दिनांक :- 15.2.23

## आदेश

प्रार्थी जगनाराम उर्फ जगनसिंह पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी जीणवास की आरे से जरिये वकील श्री शिवपालसिंह के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट अनुसार के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम जीणवास प0ह0 जीणमाता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 78, 80 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	जीणवास प0ह जीणमाता	78, 80	जगनाराम पुत्र काना	जगनसिंह पुत्र कानाराम

(प्रतिभा वर्मा IAS)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

दिनांक:- 15.2.23

क्रमांक /रीडर/2023/61

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़